

बिहार सरकार  
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग  
सं०सं०-८डी०(पुनर्विनियोग-२२५१)-०२-१०/२०२६- 337

25/03/2026

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,  
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-01 अनुसूचित जातियों का कल्याण-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता, 0001-बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम" विपत्र कोड- 44-2225011900001" (मॉग संख्या-44) के अन्तर्गत 3104-सहायक अनुदान- वेतन में कुल ₹442.00 लाख (चार करोड़ बियालीस लाख रू०) के उपबंधित राशि में संभावित बचत राशि "2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-090-सचिवालय, उपशीर्ष -0023 -अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग" विपत्र कोड-44-2251000900023 (मॉग संख्या-44) के अन्तर्गत 0601-चिकित्सा प्रतिपूर्ति ईकाई में ₹2.00 लाख (दो लाख रू०) मात्र का पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त उपबंध राशि की स्वीकृति का प्रस्ताव।

आदेश- स्वीकृत।

2- बिहार वित्तीय नियमावली भाग 1 के नियम 489 योजना अन्तर्गत संलग्न अनुसूची के अनुसार मुख्य शीर्ष "मुख्य शीर्ष "2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ ,उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-090-सचिवालय, उपशीर्ष -0023 -अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग" विपत्र कोड-44-2251000900023 (मॉग संख्या-44) के अन्तर्गत 0601-चिकित्सा प्रतिपूर्ति ईकाई में ₹2.00 लाख (दो लाख रू०) मात्र का पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त उपबंध राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

4- प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

5- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के सचिव

ज्ञापांक- सं०सं०-८डी०(पुनर्विनियोग-२२५१)-०२-१०/२०२६- 337 पटना,दिनांक- 25/03/2026  
प्रतिलिपि:- अनुसूची के तीन प्रतियों के साथ वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक- सं०सं०-८डी०(पुनर्विनियोग-२२५१)-०२-१०/२०२६- 337 पटना,दिनांक- 25/03/2026  
प्रतिलिपि:- अनुसूची के प्रतियों के साथ कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना/ निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/ अपर सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/ अवर सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/ उप निदेशक(मु०) अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/प्रभारी पदाधिकारी, बजट शाखा ,अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग, बिहार,पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, बजट शाखा (८डी०)/लेखा शाखा/आई०टी०मैनेजर, अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

115